

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,  
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687

वेबसाईट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

दिनांक:

क्रमांक: निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21/

2506-8-K  
12-122

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,  
एन.आई.सी.,  
कमरा न. 8318,  
एस.एस.ओ., बिल्डिंग,  
शासन सचिवालय जयपुर।

2. श्री मनोज नागर,  
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,  
एन.आई.सी.  
कमरा न. 8318,  
सचिवालय जयपुर।

3. तकनीकी निदेशक,  
कार्यालय हाजा।

विषय:-पेंशन का मासिक भुगतान पे-मैनेजर/ई-कुबेर के माध्यम  
से किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:-वित्त (पेंशन) विभाग राजस्थान सरकार क्रमांक प.10 (11)  
वित्त/राजस्व/ 2015 लूज दिनांक 13.01.2022.

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में  
लेख है कि पे-मैनेजर से पेंशन भुगतान के संबंध में कृपया निम्नानुसार  
कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्र.सं	कार्य विवरण	संबंधित कार्यालय	टाईम लाईन
1.	वर्तमान में Freedom Fighters Pension Authorities, पुनर्विवाह, आय प्रमाण पत्र एवं विकलांगता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि एवं नाम में परिवर्तन के आवेदन एवं स्वीकृतियां, Revised Authorities, LTA Authorities भी Manual ही जारी की जाती है।	एन.आई.सी.	सभी आवेदन पत्र 31.01.2022 तक ऑनलाईन प्राप्त कर करने की व्यवस्था पूर्ण करना।
2.	वर्तमान में online application केवल 01.01.2004 से पूर्व के कर्मचारियों के Superannuation के प्रकरणों में शासन सचिवालय एवं वित्त विभाग के अधीनस्थ विभागों से ही लिए जाते हैं। NPS pension, Family Pension, Revision Pension, Provisional Pension, Freedom	एन.आई.सी. को सूचना प्राप्त करवाने के बाद एक माह में	एन.आई.सी. को सूचना प्राप्त करवाने के बाद एक माह में

	Fighters Pension आदि के लिए Manual Application ही ली जाती है। इसी प्रकार		
3	FR, GPO, CPO, PPO Formats/ डेस्कपटिव रॉल में कई Ammendments की आवश्यकता है। यथा बैंक डिटेल, PANCARD No., Mob No., Aadhar No., Email आदि को सम्मिलित करना। ई-मेल को छोड़कर अन्य को मेडेंटरी करना	एन.आई.सी. को सूचना प्राप्त करवाने के बाद एक माह में	एन.आई.सी. को सूचना प्राप्त करवाने के बाद एक माह में
4	Life Certificate को प्रस्तुत करने के Modes एवं Places का निर्धारण किया जाना है। यथा पहचान पोर्टल से इंटीग्रेट करना, फेस रिकगनीशन आधारित मोबाईल एप एवं वीडियो कॉल सुविधा, रेटिना स्कैन बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टीफिकेशन वोटर आईडी से लिंक करना। ई-मित्र, कोषाधिकारी/कोषाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिति, पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय, निदेशालय वेबसाईट के पोर्टल पर अपलोड मोबाईल एप/वीडियो कॉल की व्यवस्था देना।	एन.आई.सी./पेंशन निदेशालय/कोष एवं लेखा विभाग को मिलकर करना है।	यथाशीघ्र ई-मित्र को लिंक प्रदान करना एवं सरकारी कार्यालयों को इंटरफेस प्रदान करना। अधिकतम एक माह में तक मोबाइल एप/वीडियो कॉल की सुविधा देना।
5	Live Status का System पर window का अभाव है। Death Certificate को नगरपालिकाओं / पहचान पोर्टल से इंटीग्रेट करके Fetch करने का Interface नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र सी. पी.डी.एम.सी. अनुभाग को प्राप्त हो सके।	एन.आई.सी. द्वारा L.C & D.C Updation का Option कोषाधिकारी को दे दिया गया है।	यथाशीघ्र ई-मित्र को लिंक प्रदान करना एवं सरकारी कार्यालयों को इंटरफेस प्रदान करना। यथाशीघ्र मोबाइल एप/वीडियो कॉल की सुविधा देना।
6	First Payment पर Live Identification/ Live Status/ Death Certificate के लिए System पर व्यवस्था का अभाव।	एन.आई.सी.	NIC बिन्दू संख्या 4 एवं 5 अनुसार Will study & update
7	कोषाधिकारी पहचान की कार्यवाही कर GPO, CPO, PPO के Data का Pay Manager पर Intigration/Excel सीट में CPDO को भेजना।	एन.आई.सी.	यथाशीघ्र
8	Investment Detail, Tax calculation 80 वर्ष पर रिबेट आदि, फार्म न.16 जनरेशन, Quarterly Return Calculation को System पर अपलोड करने की व्यवस्था न होना।	एन.आई.सी.	10-02-2022 तक

9	Service Pensioner के Commutation की Commencement Date /End Date का System पर उपलब्ध नहीं होने से Pension Restoration Date की जानकारी का अभाव।	एन.आई.सी. पेंशन निदेशालय	यथाशीघ्र
10	Additional Quantum of Pension को देने के लिए System पर पुराने PPO में जन्म तिथि का अभाव।	एन.आई.सी. पेंशन एवं कोष कार्यालय	यथाशीघ्र माड्यूल में व्यवस्था करना 1. पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि का निर्धारण कर डाटा अपडेट करना 2. जन्मतिथि अद्यतन करना
11	सिस्टम पर पेंशनर के मोबाईल न., पेन कार्ड, ई-मेल, आधार कार्ड का अभाव	एन.आई. सी/कोषाधिकारी/ पेंशन निदेशालय/बैंक	20-01-2022 तक
12	आई.एफ.पी.एम.एस. से पी.एल. का बजट आवंटन में By Default 300 पी.एल. का बजट आवंटन हो रहा है। इसे अधिकतम 300 की सीमा रखते हुए ऑडिटर को कम/ऍडिट करने की सुविधा दी जावे।	एन.आई.सी	यथाशीघ्र

वित्त विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त सभी पर समस्त कार्यवाही अधिकतम एक माह की अवधि में सुनिश्चित करावें। इस कार्यवाही की प्रगति की वित्त विभाग के स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जावेगी।

भवदीय,  


(संजय सोलंकी)  
निदेशक

